अपील सूचना अधिकार संख्या 13/2018 अनवानी श्री जगदीश पुत्र मनीराम निवासी मोटासर खूनी तहसील करणपुर बनाम उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

09-05-2018

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री जगदीश आज दिनांक 09.05.2018 उपस्थित नहीं। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ की ओर से उनका कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 06.11.2017 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ को प्रस्तुत किया था, जिसमें उसके द्वारा चाही गई सूचनाएं निश्चित समय में उपलब्ध न करवाने के कारण सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत यह अपील पेश की गई है और प्रार्थना की गई है कि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाई जावे।

अपीलार्थी जगदीश ने सूचना का अधिकार अधिनिमय 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ से अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 06.11.2017 से निम्न सूचना चाही थी:–

> **निवेदन है कि मुझे आरटीआई कानून के तहत निम्न लिखित सूचनाएँ दिलवाई जावे :**
> **1 चक 5 एमएलके(सीएडी सहित) की खाता संख्या पुराना 25 व नया 26 भूमि की सम्पूर्ण पत्रावली की सत्यापित प्रति।**

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में **लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही कोई सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई गई है जबकि धारा 7(1) अन्तर्गत 30 दिवस के भीतर सूचना उपलब्ध करवाने अथवा न करवाने के सम्बन्ध में निम्न प्रकार से प्रावधान दिये गये है :**

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

धारा 7 अनुरोध का निपटारा :

(1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।

परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर कोई सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है, जबकि धारा 7 (1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं इसलिए प्रार्थी की अपील स्वीकार करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की अपील स्वीकार की जाती हैं और लोक सूचना अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं नियमानुसार वाछित सूचनाएं 10 दिवस में उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 09.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर